# प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, शामली।

Order No. 180/ A.O. -2020- Date- 26-07-2020

## प्रशासनिक आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी, शामली द्वारा अपने लिखित प्रतिवेदन सं0 मु0चि0अ0/कोविड–19/2020–21/दिनांक 26.07.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 23.07.2020 को उनके द्वारा जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना के परिसर से लिए गये रैंडम सैंपलिग की जांच के उपरान्त दिनेश कुमार पुत्र पूरणचन्द नामक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जनपद न्यायालय परिसर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के पाये जाने पर सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिसर के अति संवेदनशील श्रेणी में होने के कारण अगले दो दिनों तक जनपद न्यायालय को बन्द रखकर सैनिटाईज करवाने और सैनिटाईजेशन होने के उपरान्त ही जनपद न्यायालय को खोलने की कार्यवाही किया जाना उचित बताया गया है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित किये गये पत्र सं0 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated June 03, 2020 के बिन्दु सं0 14 एवं 15 में निर्देशित किया गया है कि–

14- "Wherever any court campus is covered under the containment zone, such court shall remain closed as per the resolutions of this Court dated 02-05-2020 read with the resolution of this court dated 25-03-2020, till such time the concerned District Court or outlying Court continues to remain in Containment Zone. Thereafter, the present scheme shall apply. Necessary reports in this regard, be obtained by the District Judges from the District Administration, on regular basis.

15- Where the District Administration/C.M.O. concerned is of the opinion that the District/Outlying Court campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period, than the District Court/Outlying Court may be closed for the said period and intimation mentioning the specific reason may be sent to Allahabad High Court."

मुख्य चिकित्साधिकारी शामली की उपरोक्त आख्या के आलोक में जनपद शामली की जिलाधिकारी से विचार विमर्श के आधार पर कोरोना महामारी के संक्रमण को न्यायालय परिसर में फैलने से रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में उ0 प्र0 सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को पूर्णतः सैनिटाईज करने हेतु अगले 48 घंटे अर्थात दिनांक 27.07.2020 व 28.07.2020 की देर सांय तक जनपद न्यायालय परिसर एवं कार्यालयों को पूर्णतया बन्द रखने की जिला प्रशासन की राय से अधोहस्ताक्षरी सहमत है और उक्त दिनांक को समस्त न्यायालय एवं कार्यालय पूर्णतः बन्द रहेंगे।

तदनुसार जिलाधिकारी शामली, मुख्य चिकित्साधिकारी शामली एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कैराना को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण जनपद न्यायालय, शामली स्थित कैराना के सम्पूर्ण न्यायालय परिसर (समस्त न्यायालय, कार्यालय, अधिवक्तागण के चैम्बर आदि) का सैनिटाईजेशन अगले दो दिन, दिनांक 27.07.2020 एवं दिनांक 28.07.2020 को कराया जाना व उक्त श्री दिनेश कुमार के सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की अविलम्ब कोरोना जांच कराया जाना सुनिश्चित करे।

न्यायालय परिसर के सम्पूर्ण सैनिटाईज हो जाने के उपरान्त एवं इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, नजारत की न्यायालय परिसर के सम्पूर्ण सैनिटाईजेशन हो जाने की आख्या प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 29.07.2020 की प्रातः से जनपद न्यायालय शामली पुनः कियाशील होगा।

न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं सभी कर्मचारीगण को यह आदेशित किया जाता है कि कोरोना महामारी के बचाव हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित सभी उपायों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

दिनांक 27.07.2020 को नियत वाद दिनांक 29.07.2020 तथा दिनांक 28.07.2020 को नियत वाद दिनांक 30.07.2020 को नियत किये जाते है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनो दिवसों में रिमांड आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित करे।

यदि कोई भी व्यक्ति, उक्त संक्रमित श्री दिनेश कुमार के संपर्क में आया हो तो वह न्यायालय परिसर में तब तक प्रवेश नही करेगा जब तक कि जांच से यह निदान न हो जाये कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित नही है।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये।

**Sd/-**
**( डा0 अजय कुमार–II )**
जनपद न्यायाधीश,
शामली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्रीमान महानिबन्धक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2– श्रीमान सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3– जिलाधिकारी, शामली।
4– पुलिस अधीक्षक, शामली
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, शामली।
6– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, कैराना।
7– अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफफरनगर।
8– जिला शासकीय अधिवक्ता ( दाण्डिक ) शामली।
9– जिला शासकीय अधिवक्ता ( दीवानी ) शामली।
10– जिला सूचना अधिकारी शामली को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त सूचना को समस्त समाचारपत्रों में प्रकाशन हेतु कार्यवाही करे।
11– अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसियेशन, कैराना।
12– अध्यक्ष/सचिव, जिला बार संघ, शामली।
13– सिस्टम सहायक कम्प्यूटर को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त आदेश को जनपद न्यायालय शामली की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दे।

*`Note- This order is electronically generated for circulation purpose.*

Lalit Verma